बचपन रहेगा बचपन
www.CLFJaipur.org

Centre DIRECT

PRAXIS

गया में पंचायत और वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने हेतू टूल और डेटा संग्रह के लिए सुझाए गए संकेतक

द्वारा
प्रैक्सिस इंडिया

गया में पंचायत और वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने हेतू टूल और डेटा संग्रह के लिए सुझाए गए संकेतक

द्वारा
प्रैक्सिस इंडिया

विषय सूची

शीर्षक	पेज न.
परिचय	3
फेज़ 1 – गठन, प्रेरणा और जागरूकता	5
सीपीसी को लेकर जागरूकता और समिति की ज़िम्मेदारियां	8
फेज़ 2 - सबूतजमा करना और प्रभावी कदम	13
फेज़ 3 – समुदाय, गाँव, ब्लॉक एवं ज़िला स्तर के अधिकारीयों के साथ नियमित संपर्क	19

तालिकाओं की सूची

टेबल – 1	टूल्स की सूची	3
टेबल – 2	किये गए कार्रवाई का प्रारूप	5
टेबल – 3	सीपीसी ग्रेडिंग के लिए टूल	6
टेबल – 4	ग्राम/ वार्ड बाल सुरक्षा योजना का प्रारूप (दिशा-निर्देशों के अनुसार संलग्नक III)	8
टेबल – 5	सदस्य रिकॉर्ड शीट	9
टेबल – 6	सीपीसी की संरचना का सारांश पत्र(समरी शीट)	9
टेबल – 7	वार्ड, पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय बैठक रिकार्ड करने का प्रारूप।	9
टेबल – 8	पंचायत स्तरीय सीपीसी की संरचना	9
टेबल – 9	वार्ड स्तरीय सीपीसी की संरचना	10
टेबल – 10	सीपीसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रारूप।	11 -12
टेबल – 11	फोकस योजनाओं की सूची	13
टेबल – 12	असुरक्षा/संवेदनशीलता की सूची.	13-14
टेबल – 13	सूचना का सारांश पत्र	15
टेबल – 14	डैशबोर्ड संकेतक - पंचायत सीपीसी	16
टेबल – 15	असुरक्षित बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच	16-17
टेबल – 16	डैशबोर्ड संकेतक वार्ड CPC के लिए	18
टेबल – 17	हितधारकों की स्थिति का मानचित्रण	20
टेबल – 18	ग्राम/ वार्ड बाल सुरक्षा समिति प्रारूप	21
टेबल – 19	परियोजना स्तर सीपीसी प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी	22
टेबल – 20	सुविधाकर्ता द्वारा आयोजित किया जाने वाला सीपीसी ग्रेडेशन	22
टेबल – 21	सेंटर डायरेक्ट द्वारा साझा किए गए हस्तक्षेप क्षेत्रों की सूची	32 – 33
टेबल – 22	संक्षेपण	34
प्रारूप I	बाल संरक्षण समिति की बैठक की कार्यवाही संधारित करने का प्रारूप	24-25
प्रारूप II	बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड	26

प्रारूप III	पंचायत/गांव/वार्ड की रूपरेखा तैयार करने का प्रारूप	27
प्रारूप IV	बाल अधिकार असुरक्षा परिचित्रण / मैपिंग	28
प्रारूप V	सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले बच्चों एवं उनके परिवारों की जानकारी एकत्र करने का प्रारूप	29
प्रारूप –VI	केस प्रबंधन के लिए प्रारूप	30
प्रारूप –VII	प्रवासन ट्रैकिंग प्रारूप	31

परिचय

चार मुख्य परिणाम हैं जिन्हें हम सीपीसी के साथ जुड़ाव के माध्यम से लक्षित कर रहे हैं।

जो इस प्रकार हैं:

1. बाल सुरक्षा समितियां बाल सुरक्षा के मामलों में दखल दें. इसके लिए वो ब्लॉक और ज़िला स्तर पर मौजूद संस्थागत ढांचे के साथ समन्वय स्थापित करें.
2. बाल सुरक्षा समितियां बच्चों/ परिवारों को सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के साथ जोड़ें.
3. बाल सुरक्षा समितियां वो माध्यम बनें जिनके ज़रिए पीड़ित परिवार (बाल तस्करी से बच निकलने वालों समेत) अपनी आवाज़ उठा सकें और अपनी समस्याओं का निदान करें.
4. बाल सुरक्षा समितियों का खर्च ग्राम पंचायत विकास योजना(जीपीडीपी)के बजट में शामिल हो.

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर की बाल सुरक्षा समितियां जो गतिविधियां आयोजित करेंगी उनका उल्लेख नीचे दिया गया है. इन गतिविधियों के लिए कमेटियां सहभागिता पर आधारित टूल्स यानी तरीकों का इस्तेमाल करेंगी. ये प्रक्रिया कई चरणों में बंटी होगी.

टेबल -1 टूल्स की सूची

टूल्स	उद्देश्य
टूल 1: परिकल्पना यानी विज़निंग अभ्यास (पहला महीना)	बच्चों के लिए सुरक्षित गांव और एक मज़बूत और सक्रिय सीपीसी की परिकल्पना को साझा करना.
टूल 2: समस्या वृक्ष यानी प्रॉब्लम ट्री (पहला और दूसरा महीना)	मौजूदा समस्याओं की वजहों को समझना ताकि उन्हें लेकर जागरूकता पैदा की जा सके.
टूल 3: सीपीसी की संरचना, भूमिका और ज़िम्मेदारियों को लेकर कार्ड छँटाई. (पहला, दूसरा और तीसरा महीना)	इस बात का आकलन करना कि क्या सीपीसी काम कर रही है; कमेटी की संरचना आईसीपीएस के निर्देशों के मुताबिक; सीपीसी की भूमिका और ज़िम्मेदारियों को लेकर जागरूकता.
टूल 4: सोशल मैपिंग (सामाजिक मानचित्रण) (दूसरा और तीसरा महीना)	ऐसे बच्चों की शिनाख़्त/पहचान करना जो बाल तस्करी का शिकार हो सकते हैं (उन बच्चों समेत जो बाल -तस्करी के जाल से बचकर निकले हैं). साथ ही ऐसे बच्चों की भी पहचान जो विभिन्न योजनाओं/ सेवाओं के हकदार हैं. विभिन्न योजनाओं/ सेवाओं/ सुरक्षा क, बच्चों तक पहुंचने की मैपिंग*
टूल 5: संलग्नता यानी ऐन्गेजमेंट मैपिंग (तीसरा और चौथा महीना)	इस बात की मैपिंग कि बाल सुरक्षा के मामलों के निदान के लिए समुदाय के लोग किसके पास जाते हैं विभिन्न समूहों के साथ किस स्तर की संलग्नता (यानी ऐन्गेजमेंट)है
टूल 6: जीपीडीपी प्रक्रिया टूल (बजट प्रक्रिया के समय पर निर्भर करता है- लगभग दिसंबर- जनवरी के आसपास)	ग्राम पंचायतों को चाहिए कि वो ऐसी बजट योजना बनाएं जिसमें बाल सुरक्षा की ज़रूरतों को शामिल किया गया हो. प्रक्रिया टूल के ज़रिए जीपीडीपी को तैयार करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समयसीमा समेत मैपिंग होगी.
टूल 7: बाल सुरक्षा के लिए बजट निर्धारण	योजना बनाने की प्रक्रिया को मज़बूत बनाना ताकि विकास योजनाओं के बजट में बाल सुरक्षा के खर्च को भी शामिल किया जाए. ग्राम विकास की योजना में बाल सुरक्षा भी प्राथमिकता का विषय कैसे बने? बाल सुरक्षा के लिए कितना बजट निर्धारित हो?
टूल 8: सीपीसी को मज़बूत करने की प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी	सीपीसी के कामकाज को मज़बूत बनाने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं को समझना और उनके नतीजों की निगरानी करना

हमारी परिकल्पना के मुताबिक इस प्रकिया में बाल सुरक्षा कमेटियों को तीन चरणों से गुज़रना होगा:

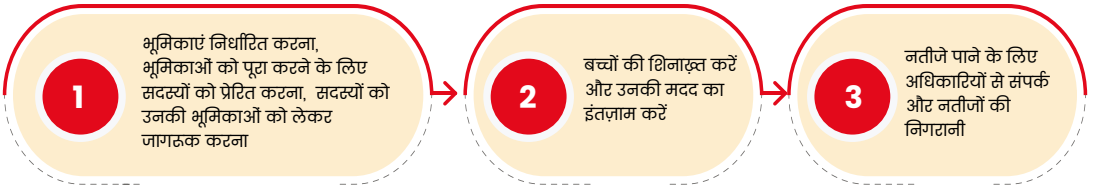

फेज़ 1 –
गठन, प्रेरणा और जागरूकता

एक बाल सुरक्षित गांव की कल्पना करना

टूल 1: परिकल्पना यानी विज़निंग अभ्यास**.** सीपीसी के सदस्यों के साथ और/ या समुदायों के लोगों के साथ, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि गांव में पहले से सीपीसी का गठन हुआ है या फिर अभी होना है. (सीपीसी में इस तरीके को नियमित अंतराल पर बार-बार दोहराएं- हर छह महीने बाद)

बाल सुरक्षा के काम में योगदान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हर गांव में ऐसे अभ्यास होंगे. इन परिकल्पना अभ्यासों के लिए प्रतिभागिता के टूल्स यानी तरीकों की मदद ली जाएगी. ऐसे हर अभ्यास के अंत में गांवों में बाल सुरक्षा की 'स्थिति' सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाएगा.

अगर अभी तक बाल सुरक्षा कमेटी नहीं बनी है, तो उसके गठन के बारे में सोचें (कमेटी में सदस्यता के मानकों के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए टूल 3को देखें) अगर कमेटी बनाई जा चुकी है तो ये देखें कि क्या सदस्यता में ज़रूरत के अनुसार बदलाव हो सकते हैं.

पंचायत या वार्ड स्तर पर सीपीसी की हर मीटिंग का ब्योरा दर्ज करें और सदस्यों की हाजिरी के दस्तावेज़ का भी रिकॉर्ड रखें. कमेटी के मैनुअल यानी नियमावली में मीटिंग के ब्योरे और हाजिरी के रिकॉर्ड का ख़ाका सुझाया गया है. आप संलग्नक I और II में इन्हें देख सकते हैं.

पहला चरण 1: सीपीसी के सदस्य और / या समुदाय बाल सुरक्षा के एक मज़बूत तंत्र को लेकर अपने नज़रिए को मज़बूत करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए वो निम्नलिखित सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे:

1. "गांव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बच्चों को असुरक्षित बनाते हैं?" इन सभी मुद्दों को या तो लिख लें या फिर काड्र्स पर दर्शाएं. काड्र्स को ऐसी जगह प्रदर्शित करें जहां सभी उन्हें देख सकें.
2. "इन सभी मुद्दों में से किसका असर गांव के बच्चों पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम हो रहा है?" समस्याओं के ज़्यादा या कम प्रभाव के क्रम में उन्हें वरीयता यानी रैंक प्रदान करें या फिर इसी क्रम में काड्र्स को व्यवस्थित करें.
3. अब नीचे दिए गए चित्र की तरह ही बादल के आकार की आकृति बनाएं. उसमें ये सवाल लिखें "बच्चों के लिए सुरक्षित समुदाय का मतलब क्या है?" – अब जिन समस्याओं का स्थानीय बच्चों की सुरक्षा पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है उनके ठीक विपरीत बातें या तो लिखें या फिर कार्ड पर चित्र बनाकर दर्शाएं. उदाहरण के लिए अगर किसी कार्ड में लिखा है कि " कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं", तो इसका ठीक उल्टा होगा " सभी बच्चे स्कूल जाते हैं." इन सभी को बादल जैसी आकृति के इर्द-गिर्द व्यवस्थित करें

दूसरा चरण: अब तक की गई कार्रवाइयों को समझने के लिए समूह कार्डों पर सूचीबद्ध करेगा "पिछले एक वर्ष में समुदाय को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है**?"** इन सभी काइर्स को नीचे दी गए श्रेणियों के हिसाब से व्यवस्थित करें**:**

टेबल – 2 किये गए कार्रवाई का प्रारूप

	व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए कदम	कलेक्टिव यानी संगठन/ समूह के स्तर पर उठाए गए कदम	अगर कदम संगठनात्मक स्तर पर उठाए गए हैं तो वो संगठन कौन सा है?
क्या कदम उठाया गया?			

इन उठाए गए कदमों की जो मौजूदा स्थिति है,प्रोजेक्ट स्टाफ, समूह के साथ मिलकर उनके मुताबिक आगे की रणनीति तैयार कर सकता है.

तीसरा चरण: एक बाल-सुरक्षित समुदाय के लिए, कार्ड पर एक मजबूत सीपीसी की विशेषताओं को सूचीबद्ध करें (नीचे दी गई तालिका में उदाहरण देखें), और फिर प्रत्येक विशेषता के लिए, एक स्माइली चेहरा, तटस्थ या उदास चेहरा जोड़ें. आप कौन सी स्माइली चुनते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके समुदाय की सीपीसी में वो गुण अभी किस अवस्था में है (इस तरीके को सीपीसी में हर तीन महीने के नियमित अंतराल पर दोहराएं)

टेबल – 3 सीपीसी ग्रेडिंग के लिए टूल

एक मज़बूत सीपीसी की परिकल्पना
इस बारे में अब तक समुदाय का प्रदर्शन कैसा रहा है?

(सीपीसी इन गुणों के मामले में)अभी कहां है?	☹	:-।	☺
नियमित बैठकें होती हैं			
बाल सुरक्षा के मामलों को लेकर जागरूक है ?			
समुदाय के साथ सक्रिय सहयोग होता है			
समिति जागरूकता फैलाने का काम करती है			
समिति असुरक्षित बच्चों की पहचान करती है और मानव-तस्करी का शिकार हुए बच्चों को परिवार से मिलाती है			
समिति के सदस्यों को पता है मदद के लिए किसके पास जाना है और क्या कदम उठाने हैं			
कमेटी अप्रवासियों का लेखा-जोखा रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि उनके पास पहचान के पक्के दस्तावेज़ हैं			
सीपीसी के निर्देशों में दिए गए सभी संबद्ध फॉर्मेट (अनेक्शचर्स) के इस्तेमाल से कमेटी नियमित अंतराल पर रिपोर्ट्स तैयार करती है			
अन्य (प्रतिभागियों द्वारा सुझाए अन्य मानदंड को शामिल करें)			

टूल 2: समस्या वृक्ष यानी प्रॉब्लम ट्री. इसमें बाल सुरक्षा से जुड़ी सबसे अहम समस्याएं शामिल होंगी. इस टूल के ज़रिए बच्चों की असुरक्षा से जुड़े मूल कारणों की पहचान की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि उन कारणों के निदान के लिए सीपीसी को क्या करना चाहिए. (इस टूल को हर छह महीने के नियमित अंतराल पर सीपीसी के साथ दोहराएं)

समुदाय विशेष के लिए बाल सुरक्षा से जुड़ी जिन समस्याओं की पहचान हुई है, समूह उनमें से तीन सबसे अहम समस्याओं को वरीयता के क्रम में चुनेगा.

इसके लिए समूह समस्या-वृक्ष विश्लेषण का तरीका अपनाएगा जिससे समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके.

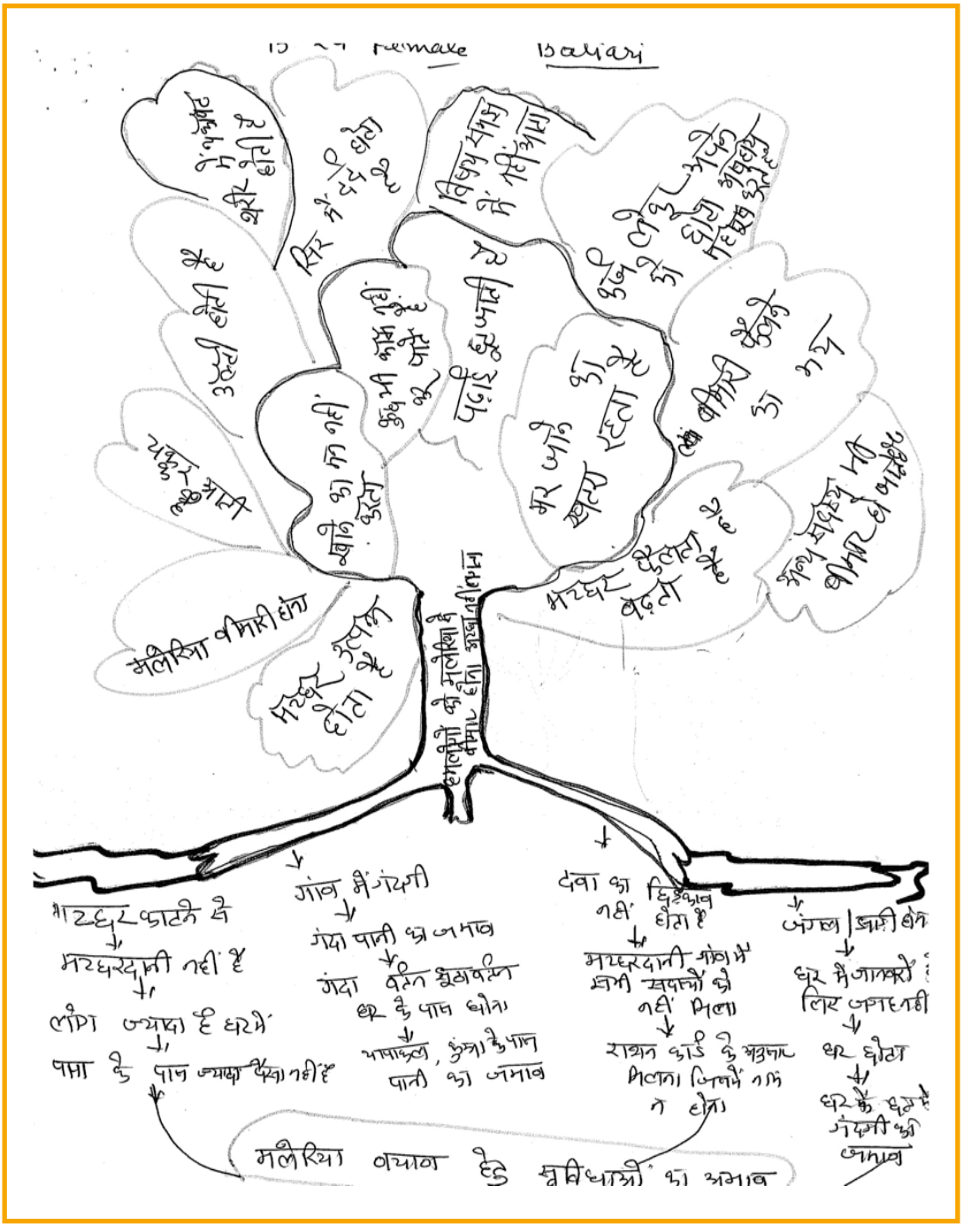

Ballari
मलेरिया बीमारी होना
मच्छर उत्पन्न होता है
मच्छर फैलता बढ़ता है
गांव में गंदगी
गंदा पानी का जमाव
मच्छर काटते है
मच्छरदानी नहीं है
दवा का छिड़काव नहीं होता है
मलेरिया बचाव हेतु सुविधाओं का अभाव

प्रॉब्लम ट्री कैसे तैयार करें:

प्रॉब्लम ट्री यानी समस्या वृक्ष: समस्या वृक्ष तैयार करने के लिए प्रतिभागी पेड़ के तने, जड़ों और टहनियों की आकृति बनाते हैं. इस आकृति के माध्यम से समस्या, उसकी वजहों और प्रभावों की पहचान की जाती है. इस तरीके से हमें समस्या के नज़दीकी विश्लेषण करने का मौका मिलता है,वो भी चित्र के माध्यम से. यह टूल समस्याओं को बारीकी से देखने के लिए एक चित्र या दृश्य और गैर-हतोत्साहित तरीका प्रदान करता है।

समस्या वृक्ष का एक उदाहरण. इसे गांववालों के एक समूह ने मलेरिया के फैलने की वजहों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया है

समस्या वृक्ष तैयार करने के लिए ज़रूरी कदम

1. प्रतिभागियों को इस टूल का मकसद समझाएं. उन्हें बाल श्रम या बाल तस्करी से जुड़ी किसी एक समस्या की पहचान करने के लिए कहें. ये ऐसी कोई समस्या हो सकती है जिस पर पहले चर्चा की जा चुकी हो.
2. पेड़ के तने की बड़ी सी आकृति बनाएं. इस पर या तो समस्या को शब्दों में लिखें या फिर उसे चित्रित करें.
3. प्रतिभागियों को इस समस्या की मूल वजहों की शिनाख़्त करने के लिए प्रेरित करें.इन वजहों को पेड़ की जड़ों के आकार में लिखें या चित्रित करें.उदाहरण के लिए दहेज़ जुटाने का डर,कर्ज़, अगड़ी जातियों का दबाव वगैरह.
4. मुख्य कारणों में से किसी एक की पहचान करें. पूछें, 'आपकी राय में ऐसा क्यों होता है?' इस सवाल का जवाब देते हुए प्रतिभागियों को 'दूसरी वजहें' पहचानने में भी मदद मिलेगी. इन 'दूसरी वजहों' को ऐसे लिखें या चित्रित करें जिससे ये वृक्ष की बड़ी जड़ से पनपती हुई छोटी जड़ों की तरह नज़र आएं. उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न के डर के पीछे समुदाय के लोगों में औरतों का सम्मान ना होना एक वजह हो सकती है. इस समस्या के पीछे सुरक्षा इंतज़ामों की कमी, यौन उत्पीड़न पर खुलकर चर्चा करने के मौकों की कमी जैसे कारण हो सकते हैं. अन्य सभी मुख्य वजहों के लिए इसी तरह 'दूसरी वजहों' की छोटी जड़ें जोड़ते चलें जब तक कि 'क्यों' सवाल के सभी संभावित जवाब ना मिल जाएं. समस्या की इन वजहों में से कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं. इनके बीच के आपसी संबंधों से भी प्रतिभागियों को समस्या की मूल वजह तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
5. अन्य मुख्य कारणों में से प्रत्येक के लिए प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि 'क्यों' प्रश्न पूछना संभव न हो।
6. प्रतिभागियों को समस्या के प्रभावों की पहचान करने के लिए प्रेरित करें. उन्हें सभी प्रभावों को पेड़ की बड़ी शाख़ों की तरह लिखने या चित्रित करने के लिए कहें.
7. मुख्य प्रभावों में से किसी एक को छांटें और प्रतिभागियों से पूछें, 'आपकी राय में ऐसा क्यों होता है?' इस सवाल से उन्हें 'दूसरे' प्रभावों की पहचान करने में मदद मिलेगी. प्रतिभागियों से इन 'दूसरे' प्रभावों को पेड़ की बड़ी टहनियों से निकलती छोटी शाख़ों के आकार में लिखने या चित्रित करने के लिए कहें.
8. अन्य सभी मुख्य प्रभावों के लिए प्रक्रिया को दोहराएं
9. एक बार समस्या वृक्ष पूरा हो जाए तो इस बात पर चर्चा करें कि वृक्ष क्या दर्शाता है. उदाहरण के लिए, कारण और प्रभाव किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं? समस्या की मूल वजहें क्या हैं?

प्रतिभागी अब समस्या वृक्ष को गतिविधियों की योजना बनाने के लिए समाधान/उद्देश्य वृक्ष में बदल सकते हैं

समस्या वृक्ष के विश्लेषण के बाद समूह ये तय करेगा कि जो समस्या पहचानी गई है उसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए.

बिहार की सरकार पहले ही सीपीसी को मज़बूत बनाने का मैनुअल छाप चुकी है.उसमें दिए गए फॉर्मेट्स का इस्तेमाल साथ ही साथ सुझाई गई प्रक्रिया के मुताबिक रिकॉर्ड फाइल करने के लिए हो सकता है. डीसीपीयू के साथ नियमित अंतराल पर होने वाले संपर्क में ये काम आएगा. इस तरह रिकॉर्ड फाइल करने से फॉलो अप भी किया जा सकेगा.

चर्चा को दस्तावेज़ में दर्ज करने के लिए,विभिन्न मसलों को नीचे दिए गए प्रारूप के मुताबिक भरा जा सकता है. उनके साथ ही गतिविधियों,समय सीमाओं,और ज़िम्मेदार व्यक्तियों का ब्योरा भी दिया जा सकता है समूह अस्थायी रूप से यह भी सूचीबद्ध कर सकता है कि किसे सहायता की आवश्यकता है।

टेबल – 4 ग्राम/ वार्ड बाल सुरक्षा योजना का प्रारूप (दिशा-निर्देशों के अनुसार संलग्नक III)

गांव / वार्ड: पंचायत: ब्लॉक: ज़िला:

क्रमांक	मुद्दे	गतिविधियां	गतिविधियां कैसे करें	समय सीमा	ज़िम्मेदार व्यक्ति	मदद की ज़रूरत किसे है?

सीपीसी को लेकर जागरूकता और समिति की ज़िम्मेदारियां

एक बार सीपीसी के गठन और उसके सक्रिय हो जाने के बाद "काइर्स छांटने" का अभ्यास किया जाए ताकि सीपीसी की संरचना को समझा जा सके.

टूल 3: सीपीसी की संरचना को लेकर **काइर्स की छंटाई.** अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों को लेकर सीपीसी सदस्यों की जागरूकता का स्तर

(सीपीसी के साथ इस टूल का इस्तेमाल हर तीन महीने के नियमित अंतराल पर करें)

पहला चरण: सीपीसी के सदस्यों की सूची बनाएं और नीचे दिए गई तालिका में संबद्ध खानों को टिक लगाकर चिन्हित करें.

टेबल – 5 सदस्य रिकॉर्ड शीट

	महिला	पुरुष	बच्चा या बच्ची/युवा	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक/ पीडब्ल्यूडी	कब सदस्य बने (तारीख)	कितनी मीटिंगों में शामिल हुए
सदस्य 1						
सदस्य 2						
सदस्य 3						
सदस्य 4 इत्यादि						

टेबल – 6 सीपीसी की संरचना का सारांश पत्र(समरी शीट)

स्थिति	नहीं	हां
15 सदस्य		
कम से कम छह महिला सदस्य		
कम से कम दो बच्चे/ नौजवान सदस्य		

कम से कम एक बच्ची जो सदस्य हो		
समिति से बाहर के हितधारक (बी.एल.सी.पी.सी.,डी.सी.पी.एस.,डी.एस.डब्ल्यू.ओ. के सदस्य बैठक में शामिल हो सकते हैं)		
आंगनबाड़ी सदस्य		
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पीडब्ल्यूडी		
ऐसे परिवार / व्यक्ति जो पहले बाल श्रम / बाल तस्करी से प्रभावित रह चुके हों.		

अगर कमेटी पहले से मौजूद थी तो पंचायत,ब्लॉक और वार्ड स्तर पर अभी उसकी क्या स्थिति है? इस टूल को सीपीसी के साथ हर तीन महीने के नियमित अंतराल पर दोहराएं.

टेबल – 7 वार्ड, पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय बैठक रिकार्ड करने का प्रारूप।

स्थिति	वार्ड स्तर की सीपीसी	पंचायत स्तर की सीपीसी	ब्लॉक स्तर की सीपीसी
कोई मीटिंग नहीं हुई			
मीटिंग होती है लेकिन अनियमित तौर पर			
नियमित बैठक होती है (हर महीने)			
नियमित बैठक होती है और बैठक का ब्योरा यानी मिनट्स दर्ज किए जाते हैं.			
कमेटी प्रभावी कदम भी उठाती है			

टेबल – 8 पंचायत स्तरीय सीपीसी की संरचना

क्रं सं	प्रस्तावित सदस्य	पी. एल.सी. पी. सी.	महिला सदस्य	पद
1	पंचायत का मुखिया	1		अध्यक्ष
2	सरपंच /उप मुखिया	1		उपाध्यक्ष
3	आंगनवाडी पर्यवेक्षिका (सी. डी. पी. ओ. द्वारा मनोनीत)	1	1	सदस्य सचिव
4	सरपंच	1		सदस्य
5	पंचायत समिति सदस्य	1 या 2		सदस्य
6	सभी वार्ड सदस्य	सभी	महिला वार्ड सदस्य	सदस्य
7	स्कूल शिक्षक [1]	1		सदस्य
8	ए. एन. एम.	1	1	सदस्य
9	विकास मित्र [2]	1		सदस्य
10	आंगनवाड़ी सेविका [3]	1	1	सदस्य
11	किशोरी बालिका समूह/सबला या मीना मंच के सदस्य/ बाल संसद सदस्य [4]	3	1	सदस्य
12	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय/पीडब्ल्यूडी/ कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा बारी-बारी से मनोनीत) (*सदस्य संख्या बढ़ा सकते हैं)	2	1	सदस्य

13	समुदाय के सम्मानित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति	2	1	सदस्य
14	चौकीदार [5]	1		सदस्य
15	NGO's/ SHG groups के प्रतिनिधि [6]	2	1	सदस्य
	कूल	**19 /20 + सभी वार्ड सदस्य**	**7 + महिला वार्ड सदस्य**	

नोट –

1. **प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ज़िला स्तरीय बाल संरक्षण समिति और ज़िला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं !**
2. **पंचायत के विभिन्न गावों में स्थित सेवा प्रदाता निकायों के सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जैसे, ए. एन.एम., आँगनवाड़ी सेविका तथा स्कूल शिक्षक को बारी बारी से समिति का सदस्य बनाया जायेगा.**

टेबल – 9 वार्ड स्तरीय सीपीसी की संरचना

क्रं सं	प्रस्तावित सदस्य	डब्लू. एल.सी. पी. सी.	महिला सदस्य	पद
1	वार्ड सदस्य (पीएलसीपीसी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	1		अध्यक्ष
2	पंच	1		उपाध्यक्ष
3	आंगनवाडी सेविका	1	1	सदस्य - सचिव
4	स्कूल शिक्षक (बीईओ द्वारा मनोनीत)	1		सदस्य
5	टोला सेवक (अध्यक्ष द्वारा दो साल के लिए बारी बारी से मनोनीत)	1		सदस्य
6	आशा कार्यकर्ता	1	1	सदस्य
7	किशोरी बालिका समूह/सबला या मीना मंच के सदस्य/बाल संसद सदस्य	2	1	सदस्य
8	स्कूल प्रवंधन समिति से माता / पिता (अध्यक्ष द्वारा दो साल के लिए बारी बारी से मनोनीत)	1		
9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय/पीडब्ल्यूडी/ कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा बारी-बारी से मनोनीत) (*सदस्य संख्या बढ़ा सकते हैं)	2	1	सदस्य
10	NGO's/ SHG groups के प्रतिनिधि [7]	2	1	सदस्य
11	समुदाय के सम्मानित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति	1		सदस्य
12	चौकीदार [8]	1		सदस्य
	कुल	**15**	**5**	

1 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए बारी बारी से मनोनीत!
2 अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए बारी बारी से मनोनीत!
3 आँगनवाड़ी पर्यवेक्षिका द्वारा दो वर्ष के लिए बारी बारी से मनोनीत
4 समूह द्वारा मनोनीत किये गए प्रतिनिधि! यदि ऐसे समूह न हों तो माध्यमिक / उच्च विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत बाल प्रतिनिधि
5 स्थानीय पुलिस थाना के किशोर – सह – बाल कल्याण पधाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए बारी बारी से मनोनीत
6 सचिव से परामर्श कर अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए बारी बारी से मनोनीत
7 सचिव से परामर्श कर अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए बारी बारी से मनोनीत
8 स्थानीय पुलिस थाना के किशोर – सह – बाल कल्याण पधाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए बारी बारी से मनोनीत

नोट –

1. **ज़िला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य एवं चाइल्ड लाईन के प्रतिनिधि को वार्ड - स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकों में सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है !**

2. **वार्ड में स्थित सेवा प्रदाता निकायों, जिनकी संख्या एक से अधिक हों सकती है, का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल शिक्षक, समुदाय आधारित संगठन/ स्वयं सहायता समूह के सदस्य को बारी बारी से समिति का सदस्य बनाया जायेगा.**

दूसरा चरण. विभिन्न कार्डों पर सीपीसी की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों की सूची बनाएं.

सीपीसी के सदस्य अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भूमिकाओं को सूची में शामिल करें.नीचे दी गई तालिका में ऐसी विस्तृत सूची दी गई है.लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पहले चरण में ही सीपीसी के सदस्य इन सभी भूमिकाओं को अपनी लिस्ट में शामिल करें.इन भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा करें और नीचे दिए गए खानों में उनकी स्थिति को चिन्हित करें(टूल को सीपीसी के सदस्य पहले छह महीनों के दौरान हर तीन महीने में दो बार दोहराएं)

टेबल – 10 सीपीसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रारूप।

क्रमांक	सीपीसी की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां	जानकारी नहीं	जानकारी है लेकिन ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जाती	ज़िम्मेदारी पूरी की जाती है
1	मुश्किल हालत में रह रहे बच्चों की स्थिति को लेकर आकलन रिपोर्ट तैयार करना			
2	गांव में सबसे ज़्यादा असुरक्षित बच्चों की पहचान और उनके परिवारों की ज़रूरतों को समझना			
3	ऐसे परिवारों का ब्योरा रजिस्टर में रखना जिनके सदस्य काम के लिए इलाके से बाहर जाते हैं. रजिस्टर में इन परिवारों के संपर्क सूत्रों की जानकारी हो और साथ ही ये भी बताया गया हो कि परिवार के सदस्य को क्षेत्र से बाहर काम दिलाने में किसने मदद की है.			
4	चिन्हित परिवारों को वो सुविधाएं दिलाना जिसके वो हकदार हैं, परिवार के बच्चे-बच्चियों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करवाना.			
5	किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए समुदाय और बच्चों को जागरूक बनाना.			
6	बाल तस्करी के खिलाफ़ समुदाय को जागरूक करना. बाल विवाह, बाल श्रम और काम के लिए बच्चों को अप्रवास को रोकना (इसके लिए ज़रूरत के मुताबिक सीएसओ के साथ सहयोग करना)			
7	बच्चे- बच्चियों को नियमित स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्रेरित करना			
8	ब्लॉक स्तर की सीपीसी को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट देना. रिपोर्ट में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी अहम चुनौतियों और अवसरों की जानकारी देना			

क्रमांक	सीपीसी की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां	जानकारी नहीं	जानकारी है लेकिन ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जाती	ज़िम्मेदारी पूरी की जाती है
9	गांव के ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड रखना जो या तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, या काम के लिए गांव से बाहर गए हैं या फिर लापता हैं.			
10	रेफरल सेवाओं के लिए ब्लॉक स्तर के सीपीसी को बच्चों की आवेदन देना .			
11	बाल सुरक्षा के खिलाफ कुप्रथाओं का विरोध जैसे लिंग आधारित भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शारीरिक दंड वगैरह			
12	बाल तस्करी से छुड़ाए गए बच्चों, अनाथ बच्चों और बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए बीसीपीसी और डीसीपीओ के साथ सहयोग करना. बीसीपीसी का दायित्त्व है कि वो मामले के आधार पर डीसीपीओ के साथ सलाह करे और उचित मदद करे.			
13	आईसीपीएस में पालन- पोषण संबंधी जिन सामुदायिक स्तर की सुविधाओं का ज़िक्र है, उन्हें मामलों के आधार पर सामुदायिक स्तर पर बढ़ावा देना. ऐसे मामलों में डी.सी.पी.ओ. से सलाह लेकर पी.सी.पी.सी. को बी.सी.पी.सी. गाइड करे.			

तीसरा चरण: पंचायत/ गांव / वार्ड का प्रोफाइल तैयार करना और ये सुनिश्चित करना कि कमेटियां मूलभूत दस्तावेज तैयार करें

संबद्ध प्रशासनिक इकाई (पंचायत/ गांव / वार्ड) का प्रोफाइल तैयार करने में प्रशिक्षक सीपीसी का मार्गदर्शन करेगा/ करेगी. ये मार्गदर्शन संलग्नक **III** में दिए गए प्रारूप के मुताबिक होगा. इस मार्गदर्शन को दस्तावेज़ में दर्ज करके सीपीसी के पास जमा करवाया जा सकता है.

फेज़ 2 –
सबूत जमा करना और प्रभावी कदम

लाभार्थियों को चिन्हित करना और योजनाओं तक उनकी पहुंच

टूल 4. बाल सुरक्षा एवं असुरक्षित बच्चों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों को चिन्हित करने के लिए सोशल मैपिंग करना

पहला चरण: ऐसी सबसे अहम योजनाएं और सुविधाएं चिन्हित करें जिनकी मदद से परिवारों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और स्थायित्त्व मिल सकता है. इस काम के लिए नीचे दी गई लिस्ट का प्रयोग करें. योजनाओं की ये लिस्ट सोशल मैपिंग के काम में सूचक का काम करेगी. सोशल मैपिंग से हम ये जान सकते है कि किस परिवार को इन योजनाओं और फायदों की सबसे ज़्यादा दरकार है.

टेबल – 11 फोकस योजनाओं की सूची

ऐसे योजनाओं/ सुविधाओं की सूची जिन्हें गांव की सोशल मैपिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है.
1. स्कूल में दाखिला
2. आयुष्मान भारत योजना
3. आधार कार्ड
4. बीपीएल कार्ड
5. पीडीएस
6.मनरेगा कार्ड और मनरेगा के तहत रोज़गार
7.जाति प्रमाण पत्र
8.परवरिश योजना
9. पेंशन – वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन
10. आईसीडीएस
11. आवासीय लीज़
12. भवन निर्माण के लिए मदद
13. स्थानीय स्तर पर लागू कोई अन्य योजना

सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के हकदार परिवारों की पहचान के लिए प्रशिक्षकों/सहायकों को नीचे दी गई असुरक्षाओं की सूची का इस्तेमाल करना होगा.इस जानकारी को उन्हें पिछले चरणों में तैयार किए गए गांव के सोशल मैप में डालना होगा.सीपीसी के मैनुअल में इस तरह की असुरक्षा की 18 वजहें बताई गई हैं.इनमें से सोशल मैप पर सिर्फ उन्हीं असुरक्षाओं को दर्शाया जाएगा जो संवेदनशील नहीं हैं.सीपीसी के संवेदनशील सदस्यों के साथ नियमित बैठकों के हिस्से के रूप में अन्य कमजोरियों पर चर्चा की जा सकती है। निम्न तालिका में आप असुरक्षाओं की सूची को देख सकते हैं.तालिका में ये भी बताया गया है कि इन असुरक्षाओं को सोशल मैप में दिखाया जाए या फिर जानकारी की संवेदनशीलता को देखते हुए सीपीसी मीटिंग में सदस्यों के सामने उन पर चर्चा हो.

टेबल – 12 असुरक्षा/संवेदनशीलता की सूची.

क्रमांक. (प्रारूप में इसी संख्या को कोड की तरह इस्तेमाल करेंगे)	असुरक्षा की श्रेणी	सोशल मैपिंग में असुरक्षाओं को दर्शाया जाए	सीपीसी की नियमित बैठकों में कमेटी के संवेदनशील सदस्यों के साथ चर्चा के ज़रिए असुरक्षाओं की मैपिंग हो
1	स्कूल से बाहर हो चुके बच्चे	✓	
2	कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चे	✓	
3	शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे	✓	
4	बाल विवाह*		✓
5	बाल श्रम*		✓
6	अनाथ बच्चे	✓	
7	केवल एक ही अभिभावक वाले बच्चे	✓	
8	अप्रवासी परिवारों के बच्चे	✓	
9	बेघर बच्चे	✓	
10	वो बच्चे जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है *		✓
11	कानून तोड़ने वाले बच्चे / कानून-व्यवस्था के संपर्क में आ चुके बच्चे *		✓
12	नशे की लत के शिकार परिवारों के बच्चे*		✓
13	नशे की लत के शिकार बच्चे*		✓
14	यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे**		✓
15	शारीरिक प्रताड़ना के शिकार बच्चे**		✓
16	गलियों और सड़कों में रहने वाले बच्चे	✓	
17	एचआईवी/ एड्स के शिकार बच्चे **		✓
18	अन्य	कमज़ोरी के प्रकार के अनुसार	

दूसरा चरण: सूची में शामिल असुरक्षाओं और पहले चरण में विभिन्न योजनाओं की लिस्ट के आधार पर सीपीसी को प्रशिक्षक की मदद से परिवारों के स्तर पर नक्शा तैयार करना चाहिए. नक्शे में असुरक्षित बच्चों और/ या योजनाओं एवं सुविधाओं के हकदार बच्चों को चिन्हित करें.(अगर संभव हो तो सीपीसी सोशल मैप के प्रयोग के ज़रिए इन परिवारों के न्यूनतम् स्तर का हिसाब रख सकती है और समय के साथ इस स्तर में होने वाले बदलाव को दर्ज भी कर सकती है. हर छह महीने बाद इस नक्शे को ताज़ा जानकारी के हिसाब से अपडेट किया जा सकता है.) घरेलू स्तर पर कमजोरियों को दर्शाने के लिए- सीपीसी एक विशेष रंग या प्रतीक का

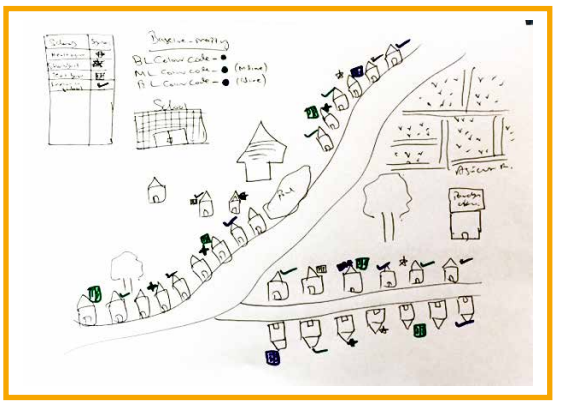

उपयोग करने का निर्णय ले सकता है और उसके खिलाफ लोगों की संख्या लगा सकता है।

तीसरा चरण: सीपीसी के सदस्य और पंचायत के सदस्य आपसी सहमत से तय करें कि असुरक्षित परिवारों की मदद के लिए कैसे काम बांटा जाए जिससे उन्हें प्राथमिकता वाली सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सुरक्षा से जोड़ा जा सके. हर मीटिंग में परिवारों और उनकी ज़रूरतों की सूची की समीक्षा करें और इस बात पर विचार करें कि कैसे उन्हें सहायता दी जाए और उन सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए जिसके वो हकदार हैं.

बैठक में इन चर्चाओं के आधार पर सीपीसी को नियमित तौर पर दस्तावेज़ बनाने होंगे. बीसीपीसी और डीसीपीसी के साथ नियमित संपर्कों के दौरान ये दस्तावेज़ काम आएंगे. इनसे सीपीसी के कामकाज की समीक्षा में भी मदद मिलेगी.

दस्तावेज़ बनाने के इस काम के लिए कुछ फोर्मट्स नीचे सुझाए गए हैं:

1. गांव/ वार्ड स्तर की बाल सुरक्षा योजना का प्रारूप.(ये प्रारूप टूल 2 के हिस्से के तौर पर भी दिया गया है, इसे नियमित तौर पर अपडेट किया जा सकता है).
2. बाल अधिकारों से जुड़ी असुरक्षाओं को चिन्हित करने का प्रारूप (सोशल मैपिंग पर आधारित,इस सूचना को फॉर्मेट IV में दिए गए प्रारूप के आधार पर भरा जा सकता है).
3. सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न सरकारी योजनाओं से फायदा उठा रहे बच्चों और उनके परिवारों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रारूप.(टूल 4 के पहले चरण के हिस्से के तौर पर दी गई योजनाओं की सूची के आधार पर भरा जाए, प्रारूप की जानकारी फॉर्मेट V से ले सकते हैं).
4. केस प्रबंधन के लिए फॉर्मेट (जिन भी मामलों में सीपीसी दखल दे और उनके बारे में जानकारी लेती रहे. ये सुझाव दिया जाता है कि केस प्रबंधन के फॉर्मेट का इस्तेमाल केस के साथ दखल की योजना के पूरे विवरण को दर्ज करने के लिए हो.इस जानकारी को नियमित तौर पर ब्लॉक और ज़िला इकाइयों के साथ साझा किया जाए. ये फॉर्मेट संलग्नक VI में दिया गया है.
5. पंचायत का दफ़्तर पंचायत के स्तर पर अप्रवासी परिवारों की जानकारी वाला रजिस्टर बना सकता है.रजिस्टर में अप्रवासी परिवार के ठिकाने समेत बाकी सभी ब्योरा दिया गया हो. लोगों को काम के लिए गांव से बाहर जाने से पहले ये रजिस्टर भरने के लिए प्रेरित किया जाए. लोगों को माइग्रेट करने से पहले अपना विवरण दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह चरम प्रवासन के सीजन से पहले और उसके दौरान सीपीसी द्वारा नियमित फॉलो अप के साथ किया जा सकता है। (फॉर्मेट VII)

चौथा चरण: सोशल मैप में दर्ज जानकारी के सारांश पत्र को नियमित तौर पर अपडेट किया जाए.सीपीसी की हर मीटिंग में इसकी समीक्षा की जा सकती है. समीक्षा के लिए निम्नलिखितफॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं

टेबल – 13 सूचना का सारांश पत्र

जिन योजनाओं और सेवाओं की ज़रूरत है या फिर असुरक्षा की वजह	ज़रूरत की पहचान हो गई है (# बच्चों / व्यस्कों की)	लाभ के लिए अर्ज़ी दी है/ लाभ दिलाने के लिए काम हुआ है (#)	सरकार से लाभ प्राप्त हुआ है (#)
स्कूल में दाखिला			
आयुष्मान भारत योजना			
आधार कार्ड			
बीपीएल कार्ड			
पीडीएस			
मनरेगा कार्ड और मनरेगा के तहत काम			
जाति प्रमाण पत्र			

परवरिश योजना			
पेंशन – वृद्धावस्था या विधवा			
आईसीडीएस			
आवासीय लीज़			
घर के लिए अनुदान			
अन्य			

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अर्ज़ी देने वाले और इन योजनाओं का लाभ पाने वाले असुरक्षित परिवारों की अपडेट की हुई सूची सीपीसी,ब्लॉक स्तर की सीपीसी और डीसीपीयू के साथ हर तीन महीने में एक बार साझा होनी चाहिए.

पांचवां चरण: फील्ड में हो रहे काम की जानकारी ज़िला और राज्य इकाइयों को समय-समय पर दी जाए.ऊपर बताई गई सभी प्रक्रियाओं से जमा हुई जानकारी एक डैशबोर्ड की शक्ल में पेश की जाएगी.इससे उच्च अधिकारियों के साथ नियमित संचार में मदद मिलेगी.इस काम के लिए ज़रूरी जानकारी हर महीने या तीन महीने में एक बार नीचे दिए प्रारूप के मुताबिक जमा करवाई जाएगी.

टेबल – 14 डैशबोर्ड संकेतक - पंचायत सीपीसी

प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक पी.सी.पी.सी. के लिए डैशबोर्ड संकेतक		
पंचायत बाल संरक्षण समितियों (PCPCs) का सक्रियकरण		
प्रश्न	**डेटा फ्रीक्वेंसी**	**जवाब का प्रकार**
क्या गाँव में पंचायत बाल संरक्षण समितियों (PCPCs) का गठन हुआ है ?	गठित हों गया	हाँ /नहीं
क्या पिछले तीन महीनों के दौरान PCPC की नियमित बैठकें हो रही हैं?(अर्थ: पिछले 3 महीनों में से कम से कम 2 में बैठकें हुई हों)	मासिक	हाँ /नहीं
क्या कमजोर बच्चों और परिवारों की पहचान करने के लिए सामुदायिक मैपिंग प्रक्रिया की गई है? (अर्थ: क्या यह पिछले 3 महीनों में कम से कम एक बार किया गया है (या अपडेट) किया गया है)	तिमाही	हाँ /नहीं
क्या पी.सी.पी.सी. के सदस्यों ने भूमिकाओं के बारे में जागरूकता के आधार पर कार्रवाई का प्रदर्शन किया है? (अर्थ: सदस्यों ने सहायता के लिए आवेदन करने में मदद की है और/या कमजोर बच्चों का दौरा किया है और/या बाल संरक्षण आदि के मुद्दे पर एक स्थानीय बैठक आयोजित की है)	मासिक	कार्यवाई की संख्या
क्या पी.सी.पी.सी. ने इसी महीने गांव से माइग्रेशन रजिस्टर अपडेट किया है? (अर्थ: क्या सदस्यों ने जाँच की है कि क्या कोई घर का सदस्य (वयस्क या बच्चा) अन्य क्षेत्रों / राज्यों में चला गया है और विवरण पंचायत प्रवासन /माइग्रेशन रजिस्टर में जोड़ा गया है?)	मासिक	हाँ /नहीं

टेबल – 15 असुरक्षित बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच

प्रश्न	**डेटा फ्रीक्वेंसी**	**जवाब का प्रकार**
नीचे दी गई प्रत्येक योजना के लिए पिछले महीने के दौरान कितने संभावित लाभार्थी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पात्रता/ अधिकारों के लिए आवेदन करने में सहायता की गई थी? (अर्थ: पिछले महीने में पूरी तरह से नया आवेदन जमा किया गया)		
स्कूल नामांकन	मासिक	संख्या
आयुष्मान भारत PMJAY	मासिक	संख्या

आधार कार्ड	मासिक	संख्या
बी.पी.एल. कार्ड	मासिक	संख्या
पी. डी.एस.	मासिक	संख्या
मनरेगा कार्ड एवं जॉब	मासिक	संख्या
जाति प्रमाणपत्र	मासिक	संख्या
परवरिश स्कीम	मासिक	संख्या
वृद्धा एवं विधवा पेंशन	मासिक	संख्या
आई.सी.डी.एस./आंगनवाड़ी नामांकन	मासिक	संख्या
आवासीय लीज/पट्टा	मासिक	संख्या
आवास अनुदान	**मासिक**	**संख्या**
कितने लाभार्थी परिवारों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्राप्त किए हैं? (अर्थ: वास्तव में पिछले महीने से प्राप्त करना शुरू किया)		
स्कूल नामांकन	मासिक	संख्या
आयुष्मान भारत PMJAY	मासिक	संख्या
आधार कार्ड	मासिक	संख्या
बी.पी.एल. कार्ड	मासिक	संख्या
पी. डी.एस.	मासिक	संख्या
मनरेगा कार्ड एवं जॉब	मासिक	संख्या
जाति प्रमाणपत्र	मासिक	संख्या
परवरिश स्कीम	मासिक	संख्या
वृद्धा एवं विधवा पेंशन	मासिक	संख्या
आई.सी.डी.एस./आंगनवाड़ी नामांकन	मासिक	संख्या
आवासीय लीज/पट्टा	मासिक	संख्या
आवास अनुदान	मासिक	संख्या
ग्राम पंचायत बजट में बाल संरक्षण को शामिल करना		
प्रश्न	**डेटा फ्रीक्वेंसी**	**जवाब का प्रकार**
क्या पीसीपीसी ने गांव में बाल संरक्षण से संबंधित कम से कम 1 जरूरत के लिए ग्राम पंचायत बजट की पहचान की है और अनुरोध प्रस्तुत किया है?	अर्धवार्षिक	हाँ /नहीं
क्या जीपी बजट में किसी बाल संरक्षण की जरूरत और बजट को मंजूरी दी गई है? (यदि हां, तो विवरण दें)	अर्धवार्षिक	हाँ /नहीं
जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के साथ पीसीपीसी का जुड़ाव/कार्य		
प्रश्न	डेटा फ्रीक्वेंसी	जवाब का प्रकार
क्या डीसीपीयू को जरूरतों, गतिविधियों और सरकारी सहायता के वितरण में किसी भी पहचाने गए विलंब की सूची के साथ एक मासिक रिपोर्ट भेजी गई थी?	मासिक	हाँ /नहीं
क्या डीसीपीयू ने इसी महीने पीसीपीसी का दौरा किया?	मासिक	हाँ /नहीं

जमा किये गए रिपोर्ट पर क्या पीसीपीसी को इस महीने डीसीपीयू से कोई प्रतिक्रिया मिली है?	मासिक	हाँ /नहीं
क्या पिछले एक महीने में ब्लॉक सी.पी.सी. की बैठक हुई है?	मासिक	हाँ /नहीं
क्या पीसीपीसी ने अपने मुद्दों को समाधान के लिए बीसीपीसी की बैठक में लाया?	मासिक	हाँ /नहीं
पीसीपीसी की कार्यप्रणाली का स्तर		
CPC की कार्यक्षमता किस स्तर पर है? (अर्थ: नीचे दिए गए टूल 8 में बताए गए मानदंड देखें)		
लेवल (0) जीरो = बैठक नहीं, कोई भागीदारी नहीं	तिमाही	संख्या
लेवल 1 बेसिक - मानदंड 1 - 2 पूरी तरह से मिले हैं	तिमाही	संख्या
लेवल 2 कार्यात्मक - मानदंड 1 - 6 पूरी तरह से मिले हैं	तिमाही	संख्या
लेवल 3 सक्रिय = 10 में से कम से कम 9 मानदंड पूरी तरह से पूरे किए गए हैं	तिमाही	संख्या

टेबल – 16 डैशबोर्ड संकेतक वार्ड CPC के लिए

प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक WCPC के लिए डैशबोर्ड संकेतक

प्रश्न	डेटा फ्रीक्वेंसी	जवाब का प्रकार
क्या वार्ड में वार्ड बाल संरक्षण समितियों (WCPCs) का गठन हुआ है ?	गठित हों गया	हाँ /नहीं
क्या पिछले तीन महीनों के दौरान WCPC की नियमित बैठकें हो रही हैं?(अर्थ: पिछले 3 महीनों में से कम से कम 2 में बैठकें हुई हों)	मासिक	हाँ /नहीं
क्या कमजोर बच्चों और परिवारों की पहचान करने के लिए सामुदायिक मैपिंग प्रक्रिया की गई है? (अर्थ: क्या यह पिछले 3 महीनों में कम से कम एक बार किया गया है (या अपडेट) किया गया है)	तिमाही	हाँ /नहीं
क्या डब्ल्यू.सी.पी.सी. के सदस्यों ने भूमिकाओं के बारे में जागरूकता के आधार पर कार्रवाई का प्रदर्शन किया है? (अर्थ: सदस्यों ने सहायता के लिए आवेदन करने में मदद की है और/या कमजोर बच्चों का दौरा किया है और/या बाल संरक्षण आदि के मुद्दे पर एक स्थानीय बैठक आयोजित की है)	मासिक	कार्यवाई की संख्या
क्या वार्ड सीपीसी 0, 1, 2 या 3 के स्तर पर है? लेकिन ध्यान दें: WCPC का स्तर PCPC से उच्च स्तर पर नहीं हो सकता है	-	-
अर्थ: स्तर 1 = गठित और नियमित बैठकें;	तिमाही	संख्या
स्तर 2 = उपरोक्त सभी, साथ ही इसने कमजोर बच्चों की पहचान पूरी कर ली है	तिमाही	संख्या
स्तर 3 = उपरोक्त सभी, साथ ही यह भूमिकाओं के बारे में जागरूकता के आधार पर कार्रवाई का प्रदर्शन कर रहा है	तिमाही	संख्या

फेज़ 3 –

समुदाय,गांव, ब्लॉक एवं ज़िला स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क

बाल संरक्षण पर कई हितधारकों के साथ वीसीपीसी के साथ जुड़ाव का मानचित्रण

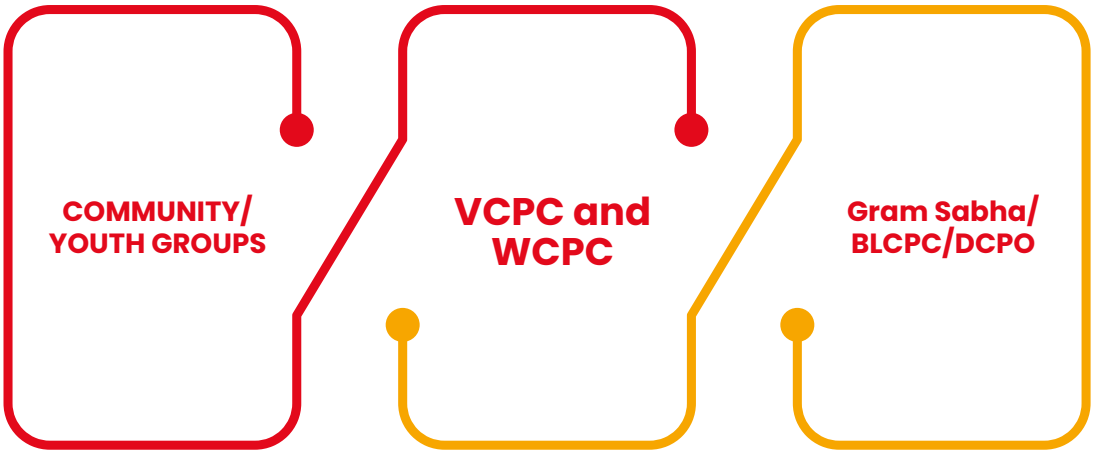

{**Translation for graphics: Community/youth groups**- समुदाय/ युवा समूह, **VCPC and WCPC-** वीसीपीसीऔरडब्ल्यू.सी.पी.सी., **GramSabha/BLCPC/DCPO-** ग्राम सभा / बीएलसीपीसी / डीसीपीओ}

टूल 5. बाल सुरक्षा के दोनों पहलुओं पर वीसीपीसी के विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ाव मैपिंग

पहला चरण: परिकल्पना अभ्यास में चिन्हित समस्याओं और सोशल मैप के आधार पर सीपीसी इस बात पर चर्चा कर सकती है कि बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में कौन हितधारक हैं. ऐसे हितधारकों की काड्र्स पर सूची तैयार की जा सकती है. हितधारकों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है.

1) वो हितधारक जिनके साथ सीपीसी का समन्वय ज़रूरी है ताकि बाल सुरक्षा की मांग समाज में उठे (परिवार, सामुदायिक समूह, युवा समूह इत्यादि).

2) वो एजेंसियां और अधिकारी जो संबद्ध सरकारी योजनाओं को लागू करवाने के लिए ज़िम्मेदार हैं. उदाहरण के लिए:

पहला समूह:

1. परिवार
2. स्वयंसहायता समूह
3. युवा समूह
4. बाल शोषण से बचने वालों के समूह

दूसरा समूह:

1. गांव के मुखिया
2. चाइल्ड लाइन
3. वार्ड सदस्य
4. एसएमसी

दूसरा चरण: पहले समूह में उन हितधारकों को चिन्हित करें जो बच्चों से जुड़े मसलों को लेकर सक्रिय हैं (उदाहरण के लिए सक्रिय हितधारकों वाले काइर्स पर दो टिक लगाएं)

दूसरे समूह के ज़िम्मेदार और जवाबदेह हितधारकों को नीचे दी गई तालिका में चिन्हित करें. हितधारकों को इन श्रेणियों में बांटें- मौजूद नहीं हैं/ काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उपलब्ध हैं या फिर उपलब्ध हैं और भेदभाव रहित काम कर रहे हैं. ऐसा करने से बाल सुरक्षा को लेकर हितधारक के स्थिति का पता चलेगा. अपनी तालिका बनाएं जिसमें सीपीसी की राय के मुताबिक सबसे ज़रूरी हितधारक शामिल हों. तालिका में उन कदमों का भी ज़िक्र करें जो इन हितधारकों को बाल सुरक्षा के काम में लगाने के लिए उठाए जाएंगे.

टेबल – 17 हितधारकों की स्थिति का मानचित्रण

हितधारक	मौजूद नहीं हैं/ काम नहीं कर रहे हैं	काम कर रहे हैं और उपलब्ध हैं	उपलब्ध हैं और भेदभाव रहित काम कर रहे हैं	हितधारकों को बाल सुरक्षा के काम में लगाने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे.
आंगनबाड़ी				
ग्राम सभा				
स्कूल प्रिंसिपल				
टीचर				
बीडीओ				
पुलिस				
वार्ड सदस्य				
अन्य ज़रूरी हितधारक				

इस का लक्ष्य है कि दूसरे कॉलम में शामिल ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों को चौथे कॉलम में लाया जाए. हर तीन महीने बाद ये अभ्यास दोहराया जाएगा जिससे हितधारकों की सक्रियता के स्तर का पता लग सके और ये जाना जा सके कि उनकी उपलब्धता और निरपेक्षता कैसे और बढ़ाई जा सकती है.

टूल 6: जीपीडीपी प्रक्रिया टूल का इस्तेमाल समुदाय के लोगों के बीच जीपीडीपी के चरणों और प्रक्रियाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है.

विभिन्न स्तरों पर अपनाई गई जीपीडीपी की सूचक प्रक्रिया

ग्राम सभा	•वार्ड के सदस्यों को अपने वार्ड के स्तर पर समुदाय के लोगों के साथ मिलकर आकलन की ज़रूरत होगी. •मांगों को जुटाना, गांव के स्तर पर ग्राम सभा में चर्चा और मंज़ूरी.
पंचायत	• सचिव और मुखिया द्वारा पंचायत स्तर पर उठाई गई मांगों का दिए गए प्रारूप के मुताबिक संकलन. • संकलित बजट योजना को मुखिया द्वारा ब्लॉक स्तर के प्रमुख के साथ साझा करना .
ब्लॉक+ज़िला स्तर	• पंचायत समिति सदस्यों की संचालन समिति (स्टियरिंग कमेटी) द्वारा चर्चा और ब्लॉक स्तर पर बजट प्लान जमा करवाना. • ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद् अध्यक्ष को बजट की योजना देना.
डीओपीआर	• ज़िला विकास आयुक्त (डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट कमिश्नर) द्वारा पंचायती राज विभाग को बजट की योजना सौंपना. • प्रधान सचिव और पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री द्वारा चर्चा और मंज़ूरी
सरकारी विभाग	•वित्त एवं योजना विभाग के स्तर पर चर्चा एवं मंज़ूरी •राज्य सरकार से आखिरी मंज़ूरी
बजट की प्रस्तुति	•विधानसभा और विधान परिषद् में बजट पेश करना और दोनों सदनों की मंज़ूरी. •राज्य ⟶ ज़िला ⟶ ब्लॉक ⟶ पंचायत तक बजट पहुंचाना

पहला चरण. जीपीडीपी में विभिन्न चरणों और सालाना बजट प्रक्रिया सीपीसी के सदस्यों को सूचीबद्ध तरीके से बताएं (ऊपर बताई गई प्रक्रिया के ज़रिए). निम्नलिखित क्षेत्रों में पड़ताल करें**:** क्या कोई सदस्य पहले जीपीडीपी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है? असल में हुआ क्या था?

दूसरा चरण. ऐसे चरणों को सूचीबद्ध तरीके से बताएं जिनमें विभिन्न हितधारकों की अहम भूमिका है. फिर उन विभिन्न चरणों की सूची बनाएं जिनमें समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इस साल किस तरह इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं**?** इस प्रक्रिया की समय सीमा जानने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए**?** जानकारी जुटाने की पहल कौन सा सदस्य करेगा**/** करेगी और उसे सीपीसी तक पहुंचाएगा**/** पहुंचाएगी**?**

तीसरा चरण. पिछले साल के बजट और योजना पर चर्चा करें. क्या इनमें बाल सुरक्षा से जुड़ा कोई प्रावधान शामिल था?

चौथा चरण. जीपीडीपी प्रक्रिया के दो महीनों के दौरान जीपीडीपी के चरणों पर लगातार चर्चा करते रहें. बीडीओ के साथ संपर्क करें और समूह के सदस्यों को जीपीडीपी की मौजूदा स्थिति और टाइमलाइन के बारे में बताते रहें.

टूल 7: जीपीडीपी के बजट का विश्लेषण और बाल सुरक्षा के लिए बजट तैयार करना

पहला चरण. बच्चों की विभिन्न मांगों की सूची बनाएं (अगर इन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है तो उसी मांग पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं). काड्र्स पर बाल सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों को चिन्हित करें.

दूसरा चरण. बाल सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ज़रूरतों की सूची बनाएं जिनका ख्याल मौजूदा ढांचों और योजनाओं में नहीं रखा गया है. ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं या फिर बच्चों को इलाके में ऐसे कौन से जोखिम उठाने पड़ रहे

हैं जिनका निवारण ग्राम पंचायत कर सकती है? कितने बच्चों को फायदा हो सकता है ?

तीसरा चरण. ऊपर के चरणों में जिन ज़रूरतों की पहचान की गई है, उन्हें पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत को कितने पैसों की ज़रूरत होगी? हम ग्राम विकास योजना के अधिकारियों को इस खर्च के लिए कैसे राज़ी कर सकते हैं?

इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान या कोई दुसरे अभियान भी चलाए जा सकते हैं.

टूल 2 के तहत अहम गतिविधियों को दर्ज के लिए जिस प्रारूप का इस्तेमाल किया गया है,ऊपर दी गई प्रक्रियाओं के मुताबिक उसी प्रारूप को अपडेट किया जा सकता है.नई जानकारी के तौर पर प्रारूप में ऐसे परिवारों की संभावित संख्या दर्ज करें जिन्हें फायदा पहुंचने की उम्मीद है.इसके साथ ही आवश्यक बजट की जानकारी भी दें.जीपीडीपी प्रक्रिया को मज़बूत बनाने के लिए बुलाई गई ग्राम सभा की बैठक में इसे पेश किया जा सकता है.(इस काम के लिए आवश्यक बदलावों के साथ फॉर्मेट नीचे सुझाया गया है)

टेबल – 18 ग्राम/ वार्ड बाल सुरक्षा समिति प्रारूप

गांव / वार्ड: पंचायत: ब्लॉक: ज़िला:

क्रम संख्या	मुद्दे	गतिविधियां	गतिविधियों को कैसे करें	कितने परिवारों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है	कितना बजट चाहिए (रुपयों में)	टाइमलाइन	किस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है	मदद की ज़रूरत किसे है

टूल 8: परियोजना स्तर सीपीसी की प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी

पहला चरण: ब्लॉक और ज़िला स्तर के बाल सुरक्षा तंत्र के साथ बाल सुरक्षा कमेटियों के संबंधों की निगरानी करना

प्रशिक्षक प्रोजेक्ट स्टाफ की हर महीने होने वाली समीक्षा बैठकों में बाल सुरक्षा कमेटियों को सरकारी विभागों से मिल रहे सहयोग का जायज़ा ले सकते हैं:

टेबल – 19 परियोजना स्तर सीपीसी प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी

चरण	हां		ना	क्या करना ज़रूरी है
पीसीपीसी द्वारा बीसीपीसी और डीसीपीओ को हर तीन महीने बाद मानक रिपोर्ट (स्टैंडर्ड रिपोर्ट) देना				
क्या संबद्ध अधिकारी/एजेंसियां निगरानी के लिए बाल सुरक्षा कमेटियों का नियमित दौरा कर रहे हैं?				
क्या सभी बीसीपीसी को बाल तस्करी और उसकी रिपोर्टिंग को लेकर बाल सुरक्षा कमेटियों के काम की जानकारी है?				
क्या अहम हितधारकों की निष्क्रियता या उनकी ओर से कार्रवाई में देरी को लेकर बीसीपीसी ने कोई कदम उठाए हैं?				

क्या पी/डब्ल्यूसीपीसी और बीसीपीसी द्वारा उठाए गए अहम मुद्दों पर डीसीपीयू ने कोई कदम उठाए हैं?				

दूसरा चरण: सहायक द्वारा सीपीसी का वर्गीकरण **(** हर तीन महीने में एक बार किया जाना चाहिए)

टेबल – 20 सहजकर्ता द्वारा आयोजित किया जाने वाला सीपीसी ग्रेडेशन

क्रमांक	मानदंड	मानदंडों का पूरी तरह पालन	मानदंडों का आंशिक तौर पर पालन	मानदंडों का पालन नहीं
1	सीपीसी की नियमित बैठकें होती हैं (तीन महीने में दो बार)			
2	गांवों के विभिन्न समुदायों/ समूहों के लोग सीपीसी की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं. इन प्रतिभागियों में सबसे कमज़ोर श्रेणी के लोग और साथ ही कम से कम दो किशोर / युवा भी शामिल हैं			
3	सीपीसी ने असुरक्षित बच्चों की पहचान की है. इनमें बाल तस्करी से छुड़ाए गए बच्चे भी शामिल हैं.			
4	सीपीसी ने असुरक्षित परिवारों को योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए कोशिशें की हैं.			
5	सीपीसी ने सरकारी अधिकारियों से परिवारों को योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में प्रगति की नियमित जानकारी ली है.			
6	सीपीसी ने पंचायत स्तर पर अप्रवासी परिवारों का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया है जिससे बाल तस्करी पर रोक लगाई जा सके.			
7	सीपीसी दिशा-निर्देशों के मुताबिक संबद्ध प्रारूपों/फोर्मट्स में नियमित रिपोर्टिंग करती है.			
8	सीपीसी ने ब्लॉक स्तर की सीपीसी में पिछले तीन महीनों के दौरान प्रतिनिधि भेजे हैं ताकि गांव के बच्चों से जुड़े मसलों को ब्लॉक स्तर पर उठाया जा सके. (उदाहरण के लिए परिवारों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलने में हो रही देरी की जानकारी बीसीपीसी तक पहुंचाना)			
9	सीपीसी ने बाल सुरक्षा से जुड़े बजट अनुरोधों को ग्राम पंचायत की बजट प्रक्रिया में शामिल करवाया है.			
10	जनता के चुने गए प्रतिनिधि बजट में बाल सुरक्षा से जुड़े खर्च को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं.			
	टूल 1 के तीसरे चरण से इस जानकारी की पुष्टि हो सकती			

लेवल की परिभाषाएं:	लेवल (0) जीरो = बैठक नहीं, कोई भागीदारी नहीं
	लेवल 1 बेसिक - मानदंड 1 - 2 पूरी तरह से मिले हैं
	लेवल 2 कार्यात्मक - मानदंड 1 - 6 पूरी तरह से मिले हैं
	लेवल 3 सक्रिय = 10 में से कम से कम 9 मानदंड पूरी तरह से पूरे किए गए हैं

प्रारूप 1 (सरकारी सीपीसी मैनुअल से लिया गया प्रारूप)

बाल संरक्षण समिति की बैठक की कार्यवाही संधारित करने का प्रारूप

बैठक संख्या : बैठक की तिथि : स्थान

बैठक की कार्यवाही लिखने वाले व्यक्ति का नाम .....

पूर्व में उठाये गए मुद्दे एवं उस क्रम में हुई प्रगति की अधतन स्तिथि.....

. ऐसी घटना जिसमे बाल संरक्षण के अधिकारों का हनन हुआ है , या होने का खतरा है –:

क्या प्रगति हुई :

आगे की अनुशंसा :

आज की बैठक की कार्यसूची

i .....

ii .....

iii .....

iv.....

आज की बैठक में उठाये मुद्दे एवं जिन पर विचार हुआ .....

ऐसी घटना जिसमे बाल संरक्षण के अधिकारों का हनन हुआ है , या होने का खतरा है .पूछें कि क्या पिछली बैठक और इस बैठक के बीच गाँव में बाल संरक्षण के उल्लंघन से जुड़े किसी घटना की सूचना मिली है। (

किस पर ख़तरा है ?

समुदाय की स्वयं की क्षमता .....
(ख़तरे को कम करने के बारे में बाल संरक्षण समिति समुदाय की क्षमता के बारे में चर्चा करें (

बाल संरक्षण समिति द्वारा सुझाया गया समाधान :....(समाधान के तौर पर विचार किये गए विकल्पों और खतरे को कम करने के लिए गए अंतिम निर्णय को लिखें(

.....

.....

.....

.....

आवश्यक फॉलो अप एवं कार्यवाही :(खतरे को कम करने में बाल संरक्षण समिति /सामुदायिक संगठनकर्ता स्वयंसेवी संस्था की भूमिका के बारे में लिखें (

.....
.....
.....
.....
.....

बाल संरक्षण के किस मुद्दे पर आज सामुदायिक संगठनकर्ता द्वारा विमर्श किया गया

(बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को जागरूकता एवं संवेदी बनाने बाल संरक्षण के किसी एक मुद्दे पर उनके साथ विचार विमर्श करें (

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

बाल संरक्षण समिति सचिव :..... अध्यक्ष:.....

प्रारूप II (सरकारी सीपीसी मैनुअल से लिया गया प्रारूप)

(बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड)

बैठक संख्या **:** बैठक की तिथि बैठक स्थल

क्रमसंख्या	उपस्थित सदस्यों का नाम	पद	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

12.			
13			
14.			
15.			

क्रमसंख्या	अनुपस्थित सदस्यों का नाम	कारण

बाल संरक्षण समिति सचिव :..... अध्यक्ष:.....

प्रारूप – III (सरकारी सीपीसी मैनुअल से लिया गया प्रारूप)

पंचायत/गांव/वार्ड की रूपरेखा तैयार करने का प्रारूप (हर छह महीने में अद्यतन किया जाना है)

गाँव वार्ड का परिचय								
गाँव का नाम			पंचायत			जिला		
वार्ड		प्रखंड		जिला से दूरी				
कुल परिवार			थाना					
कुल आबादी		पुरुष की संख्या		महिला की कुल संख्या				
असुरक्षित परिवार की संख्या	अजा	अजजा	ओबीसी	सामान्य	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल	
बच्चों की कूल आबादी		लड़के		लड़कियां				

ग्रामस्तर पर सुविधाएं एवं संस्थाएं							
संस्था	उपलब्ध (है /नहीं)	प्रभारी व्यक्ति	संपर्क	संस्था	उपलब्ध (है / नहीं)	प्रभारी व्यक्ति	संपर्क
आंगनवाड़ी केंद्र				अस्पताल / सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			
प्राथमिक स्कूल				पुलिस /थाना चौकी			
अपर प्राइमरी स्कूल				डाकघर			
मिडिल स्कूल				धार्मिक संस्था			
माध्यमिक स्कूल				युवा क्लब			
उच्चतर माध्यमिक स्कूल				खेल क्लब			

महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची एवं संपर्क					
क्रम	**नाम**	**पदनाम**	**संपर्क नंबर**	**ई मेल**	
1					
2					

प्रारूप IV (सरकारी सीपीसी मैनुअल से लिया गया प्रारूप)

बाल अधिकार असुरक्षा परिचित्रण / मैपिंग (हर **6** माह में आद्यतन किया जायेगा)

वार्ड: पंचायत: प्रखंड : जिला: तिथि:

क्रमांक	नाम	माता पिता / अभिभावक	आयु	लिंग	जाति	असुरक्षा नीचे लिखे कोड का इस्तेमाल करे				बाल संरक्षण समिति द्वारा दी जाने वाली मदद	टिपण्णी
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

कोड	असुरक्षा का वर्ग	कोड	असुरक्षा का वर्ग
01	स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे	10	कानून की शरण वाले बच्चे
02	जिन बच्चों का कभी देखभाल नहीं हुआ	11	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
03	शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे	12	नशा सेवन करने वाले परिवार के बच्चे
04	बाल विवाह	13	नशा सेवन करने वाले बच्चे
05	बाल श्रम	14	यौनप्रताड़ित बच्चे
06	अनाथ	15	शारीरिक रूप से प्रताड़ित बच्चे
07	वैसे बच्चे जिनके माता पिता एक ही हैं	16	फुटपाथ के बच्चे
08	प्रवासी परिवार के बच्चे	17	एचआईवी /एड्स पिड़ित
09	बेसहारा	18	अन्य उल्लेख करें

- ये संवेदनशील किस्म की असुरक्षाएं हैं और सार्वजनिक तौर पर इनके बारे में चर्चा करने से परिवार की छवि और भी ख़राब होने का ख़तरा होगा.इसलिए इन असुरक्षाओं के बारे में बात करते हुए बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. इनके बारे में चर्चा को सिर्फ सीपीसी के संवेदनशील सदस्यों तक ही सीमित रखें.

** ये असुरक्षाएं और भी ज़्यादा संवेदनशील हैं और इनके शिकार बच्चे- बच्चियों की पहचान को छुपाना भी कानून के मुताबिक ज़रूरी होगा.पीड़ितों के हित को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में चर्चा को सीपीसी के सिर्फ कुछ ही ज़िम्मेदार सदस्यों तक सीमित रखें.

प्रारूप v (सरकारी सीपीसी मैनुअल से लिया गया प्रारूप)

सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले बच्चों एवं उनके परिवारों की जानकारी एकत्र करने का प्रारूप ।

वार्ड:. पंचायत:. प्रखंड: जिला:.

क्रमांक	बच्चे का नाम	माता पिता कानाम	आयु	लिंग	लाभार्थी का नाम	बच्चे के साथ संबंध	सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम	आवेदन की तिथि	योजना होने की तिथि / माह	योजना के तहत मिलने वाला लाभ
1										
2										
3										
4										
5										
6										

समुदाय समन्यवक का नाम .....

प्रारूप –VI (सरकारी सीपीसी मैनुअल से लिया गया प्रारूप)

केस प्रबंधन के लिए प्रारूप

वार्ड:. पंचायत:. प्रखंड: जिला:.

केस न.		रिपोर्टिंग की तिथि	
सुचना देने वाले /शिकायतकर्ता का नाम एवं पता			
बच्चे का विवरण (नाम, आयु , लिंग आदि)			
केस का विवरण			
हस्तक्षेप की योजना		पहले हस्तक्षेप की योजना दुसरे हस्तक्षेप की योजना (फोलो अप – 1) तीसरे हस्तक्षेप की योजना (फोलो अप – 2)	
कार्यवाई की योजना		पहले हस्तक्षेप की योजना के अनुसार की गयी कार्यवाई दुसरे हस्तक्षेप की योजना (फोलो अप – 1) के अनुसार की गयी कार्यवाई तीसरे हस्तक्षेप की योजना (फोलो अप –2) के अनुसार की गयी कार्यवाई	
मौजूदा स्थिति (यथा संभव अधिक से अधिक जानकारी दें, अंतिम बार अधतन किये गए की तिथि का उल्लेख करें			
टिप्पणी			

प्रारूप –VII

प्रवासन ट्रैकिंग प्रारूप (सेंटर डायरेक्ट द्वारा तैयार)		
क्रं संख्या	सवाल	जबाव
1	नाम	
2	लिंग (महिला /पुरुष)	
3	पिता /[पति का नाम	
4	ग्राम पंचायत के साथ पता	
5	जाति (एस. सी./अल्पसंख्यक /इ. बी.सी./ओ. बी. सी./सामान्य)	
6	आयु (वर्ष)	
7	हाउस होल्ड संख्या	
8	मोबाइल नंबर	
9	आपात स्थिति हेतु कोई दूसरा वैकल्पिक मोबाइल नंबर	
10	शिक्षित /अशिक्षित	

11	कोई विकलांगता	
12	श्रम का प्रकार (अकुशल/अर्धकुशल/कुशल) (	
13	पंजीकरण (स्रोत/गंतव्य) पर	
14	प्रवासन का महीना / वर्ष	
15	गंतव्य स्थान	
16	किसके साथ माइग्रेट किया गया	
17	प्रवासन का कारण	
18	काम की जगह	
19	कंपनी का नाम	
20	नौकरी के प्रकार	
21	प्रति दिन काम करने का समय	
22	प्रति माह आय (रु.)	
23	नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई अन्य सेवाएं/सुविधा	
24	क्या परिवार को एजेंट/ठेकेदार द्वारा कोई अग्रिम दिया गया है (हां/नहीं)	
25	राशि का उल्लेख करें (रु.)	
26	परिवार के साथ संपर्क की बारंबारता	
27	परिवार को पैसे भेजने की बारंबारता	
28	प्रवासन अवधि (महीनों में)	
29	प्रवासन अवधि के दौरान काम पर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जटिलता	
30	राशन कार्ड (हाँ /नहीं)	
31	स्वास्थ्य देखभाल (हाँ /नहीं)	
32	लेबर कार्ड (हाँ /नहीं)	
33	टिपण्णी	

टेबल – 21 सेंटर डायरेक्ट द्वारा साझा किए गए हस्तक्षेप क्षेत्रों की सूची

जे-टिप इंटरवेंशन क्षेत्र (पंचायत और गांव)				
Sl.no	**Block name**	**Panchayat**	**Village**	**Final ward for cpc**
1	**Chandauti**	Nagar	Kapildhara	44 +(3 Hemlets)
2		Kujap	Niyajipur, Kujap	13,14,6,7
3		Nagar	Kendui	39,40 +(3 Hemlet)
4		Rasalpur	Desin bigha, Rasalpur	8,9, 5,6,7
5		Kujapi	Kujapi	2,3,4

6		Khiriyama	Khiriyama	4,5,6
7		Dhansir	Khurar	12,13,14
8		Bara	Bara	10,11,12
9		Korma	Kamalpur, korma	2,3, 12,13
10		Amraha	Sadipur	3,4,5
11		Nagar	Katari hill	28 +(3 Hemlet)
12		Kandi	Kandi	In 3 Wards
13	**Khizarsarai**	**Khizarsarai**	Saidpur,Pachoi	10,11,12,14
14		Hemara	Hemara,Dariyapur	07,09,10
15		Jamuawa	Chhotiya, Karpi	4,7,5
16		Sarbahda	Sarbahada	05,10,11
17		Rauniya	Pathak Bigha, Khaira	In 3 Wards
18		Hathiyawa	Hathiyawa	3,4,5
19		Siswar	Siswar	08,09,06
20		Naudiha	Naudiha	in 3 wards
21		Horma	Dewa Fatehpur, Horma, Pachoi	In 3 Wards
22		Aima	Sahbazpur, Aima	In 3 Wards
23		Lodhipur	Keni, lodhipur	In 3 Wards
24		Uchauli	Khaira	In 3 Wards
25		Chiraili	chiraili	In 3 Wards
26	**Nimchak bathani**	Mniyara	Bandi, Morabbichak	8,9,10. 1,2,3,
27		Bathani	Nemthu,Chausandi	11,12,5,6,7
28		Telari	Telari	4,7,8
29		Saren	Nateshar,Horidih	10,11,06,
30		Naili	Naili, Gopdiha	05,06,07
31		Khukhri	Neyamatpur	In 3 Wards
32		Mai	Kamalpur, Mai	In 3 Wards
33		Sighaul	Shekhpura,Singhaul	In 3 Wards
34	**Belaganj**	Kormthu	Mahamadpur	5,6,7,

35		**Pai Bigha**	Paibigha,Morangpur	10,11,12
36		Agandha	Sahpur	15,16
37		Koriawan	Pandabigha, Men	6,10,11,2,6
38		Bhjlua -1	Kurisarai, Dharampur	4,6,7
39		Shripur	Fatehpur	10,09,11
40		Lodhipur	Parwal bigha,Silaunja	13,14,12
41		Bhalua -2	Munderpur	10,11,13
42		Chiraila	Chiraila	in 3 wards
43		Lakshipur	Tikuli	in 3 wards
44		Belaganj	Bela	In 3 Wards
45		Akathu	Fatehpur	In 3 Wards
46		Panari	Bhagwanpur	In 3 Wards

टेबल – 22 संक्षेपण

ANM	सहायक नर्स दाई
BDO	प्रखंड विकास अधिकारी
BLCPC	प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति
BPL	गरीबी रेखा के नीचे
CDPO	बाल विकास परियोजना अधिकारी
CPC	बाल संरक्षण समिति
CSO	नागरिक समाज संगठन
DCPU	जिला बाल संरक्षण इकाई
DCPC	जिला बाल संरक्षण समिति
DCPO	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
DoPR	पंचायती राज विभाग
DSWO	जिला समाज कल्याण अधिकारी
EBC	अति पिछड़ा वर्ग
GP	ग्राम पंचायत
GPDP	ग्राम पंचायत विकास योजना
ICDS	समेकित बाल विकास योजना
ICPS	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
MNREGA	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NGO	गैर सरकारी संगठन
OBC	अन्य पिछड़ा वर्ग
PDS	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PCPC	पंचायत बाल संरक्षण इकाई
PHC	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PMJAY	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
PWD	विकलांग व्यक्ति
SC	अनुसूचित जाति
ST	अनुसूचित जन जाति
SHG	स्वयं सहायता समूह
WCPC	वार्ड बाल संरक्षण इकाई
VCPC	ग्राम बाल संरक्षण समिति